सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1768/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामरसपालसिंह पुत्र दुर्गालाल जाति दरोगा निवासी सदारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

श्रीमति चकोली उर्फ कंचन देवी पत्नि ख्यालीराम जाति मीणा निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर ,राज.

प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्त. अधि. सपठित धारा 128,136 राज. भू राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांकः–28.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सदारा में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **183 राज. काश्त. अधि. सपठित धारा 128,136 राज. भू राजस्व** के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी **वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खसरा नम्बर 1345/2858 रकबा 0.20 हैक्ट. व खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.86है. वाके ग्राम सदारा में प्रार्थी के नाम की** खातेदार काश्तकार दर्ज है। **है।** प्रार्थी के पश्चिमी और अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1345 रकबा 1.64 है. स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के वादग्रस्त खसरानम्बर 1345/2858 पर सीमा चिन्ह नही होने से अतिक्रमण कर रखा है। जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 28.06.2017 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सदारा में पेश हुयी। वादी उप.।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकार को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादपत्र वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का वाद प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा **वाके ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खसरा नम्बर 1345/2858 रकबा 0.20 हैक्ट. व खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.86है.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी